

प्रेस विज्ञप्ति

25.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने बीटीसी फंड घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इस मामले में हेमंत ईश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पेश किया गया है, जिसने ईडी की चार दिन की हिरासत मंजूर की है।

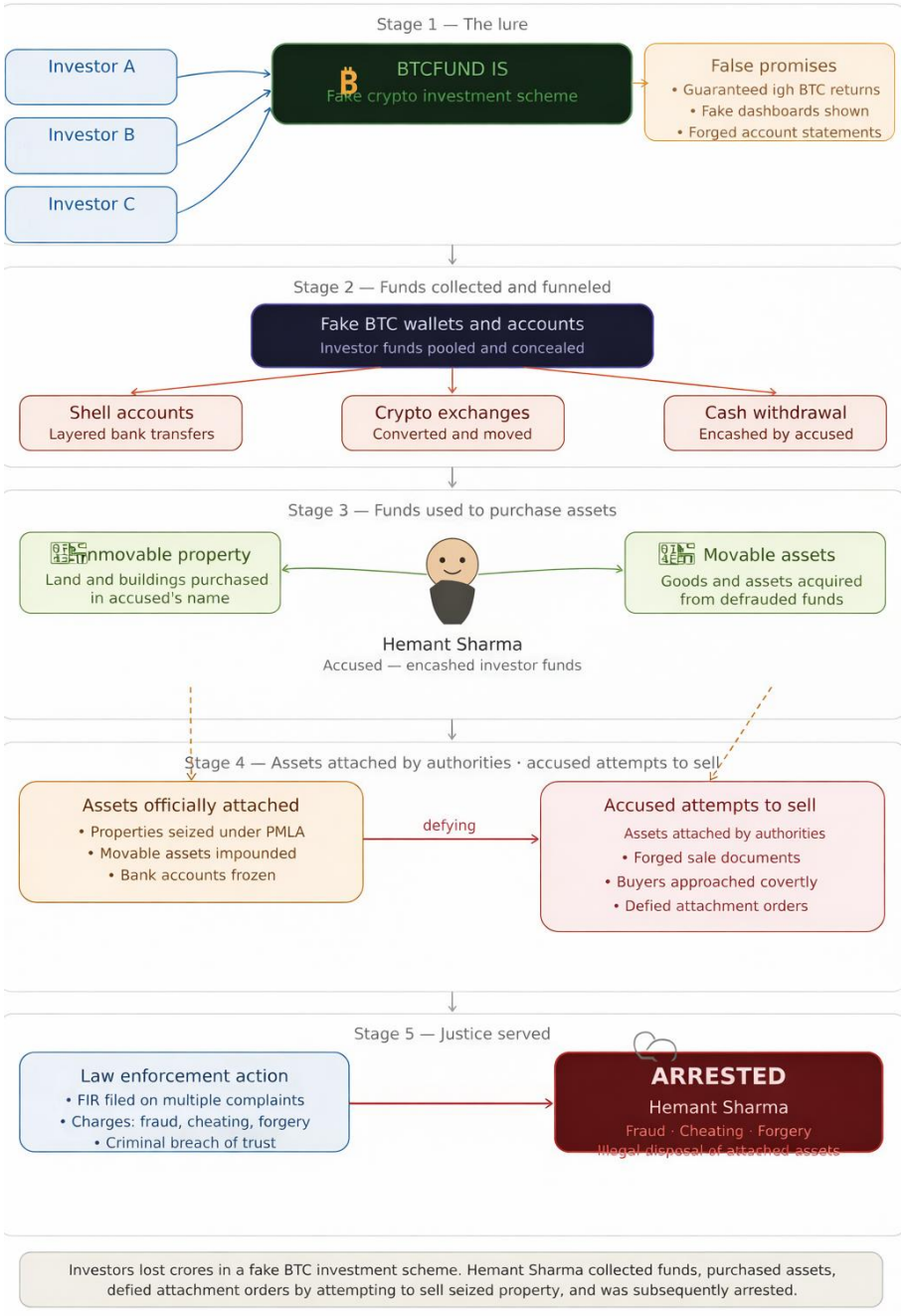
ईडी ने हेमन्त ईश्वर शर्मा के खिलाफ बीटीसीफंड.आईएस वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों को ठगने के मामले में थाना राजपुर, देहरादून में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 1860 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसी तरह की एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत थाना दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में भी हेमन्त ईश्वर शर्मा एवं अन्य के खिलाफ इसी धोखाधड़ी की योजना के संबंध में दर्ज की गई थी।

जांच में पता चला कि हेमंत ईश्वर शर्मा ने अपने नियंत्रण वाली वेबसाइट बीटीसीफंड.आईएस के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश करने के बहाने जनता से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की। उन्होंने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का वादा करके लुभाया और झूठा दावा किया कि कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हुए हैं, जिससे इस योजना को विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित बताया गया। इन झूठे बयानों पर पूरे भारत के निवेशकों को प्लेटफॉर्म पर धन जमा करने के लिए प्रेरित किया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि इस प्रकार एकत्रित अपराध के आगम को आरोपी द्वारा अपने निजी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में अपने नाम पर पंजीकृत अचल संपत्तियों में निवेश किया गया, जो पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन का अपराध है।

ईडी ने हेमंत ईश्वर शर्मा की भूमि और बैंक खाते की शेष राशि के रूप में अपराध के आगम का प्रतिनिधित्व करने वाली 4.56 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी ने कुर्की आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुर्क की गई संपत्तियों को अलग करने का प्रयास किया।

आगे की जांच जारी है।



Investors lost crores in a fake BTC investment scheme. Hemant Sharma collected funds, purchased assets, defied attachment orders by attempting to sell seized property, and was subsequently arrested.